अभ्यर्थियों द्वारा पालन करने योग्य महत्त्वपूर्ण अनुदेश
ग्रुप 'Y' (मेडिकल असिस्टेंट 10+2/ फार्मा शैक्षिक योग्यता के साथ)

1. परीक्षा के समय आपके द्वारा दी गई आपकी ई–मेल आई डी पर विस्तृत कार्य–ग्रहण अनुदेश और प्री–कोर्स नॉलेज बुकलेट भेज दिये गये हैं। आपको उक्त अनुदेश पढ़ने और समझने हैं।

2. भारतीय वायु सेना में आपकी भर्ती से पहले आपकी नामांकन–पूर्व चिकित्सा परीक्षा की जाएगी।

3. यदि आपको 'स्टैण्ड बाइ' उम्मीदवार के रूप में बुलाया गया है, तो आपकी भर्ती संबंधित ग्रुप/ट्रेड में मुख्य उम्मीदवारों की कमी, रिक्तियों की उपलब्धता और नामांकन–पूर्व चिकित्सा परीक्षा में आपकी चिकित्सा उपयुक्तता पर निर्भर करेगी।

4. नामांकन के लिए रिपोर्ट करते समय आपको अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज लाने होंगे –

(a) मैट्रिक अथवा समकक्ष का मूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। इसके अतिरिक्त इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष/वोकेशनल कोर्स/फार्मेसी में डिप्लोमा/फार्मेसी में बी.एससी. (जैसा लागू हो) का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र और मूल अंक पत्र, साथ ही प्रत्येक की 8 असत्यापित छाया प्रतियाँ। सीबीएसई उम्मीदवारों के मामले में, 10वीं और 12वीं के प्रवेश पत्र अथवा सेंटर कोड और एडमिट कार्ड आईडी।

(b) 'वायुसेना कार्मिक के पुत्र' (एसओएएफपी) और एनसीसी के मूल प्रमाण पत्र, प्रत्येक की तीन असत्यापित छाया प्रतियों के साथ, यदि लागू हो।

(c) राजपत्रित अधिकारी/पंचायत अधिकारी/विद्यालय–प्रधानाचार्य (<u>यदि पिछले 01 वर्ष के दौरान अध्ययन किये हो</u>) / महाविद्यालय प्रधानाचार्य (यदि पिछले एक वर्ष के दौरान अध्ययन कर रहे / किये हो) द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र। **यह प्रमाण पत्र छह मास से पहले का हस्ताक्षरित न हो और इस पर जारी करने वाले अधिकारी के कार्यालय की मुहर लगी हो।**

(d) तीन स्व–प्रमाणित छाया प्रतियों के साथ वैध प्रमाणित पता।

(e) सामने की ओर चेहरा किये हुए अपने नवीनतम रंगीन फोटो (तीन महीने से अधिक पुरानी न हो) जो सफेद बैकग्राउंड में बिना टोपी के ली गई हों, की असत्यापित 25 प्रतियाँ। **केवल सिख अभ्यर्थियों जिनका धर्म केश काटने अथवा दाढ़ी बनाने का निषेध करता है, को केश बढ़ाने और/अथवा दाढ़ी व मूंछ रखने की अनुमति होगी। तदनुसार वे सिख अभ्यर्थी जिन्हें निर्धारित विशिष्टताओं के साथ यह रखने की इच्छा है, उन्हें अपनी फोटो दाढ़ी व मूंछ के साथ लानी होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को नामांकन के पश्चात्, बाद के स्तरों में दाढ़ी/मूंछ बढ़ाने/बनाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी मामले में किसी भी उम्मीदवार को बिना मूंछ के दाढ़ी बढ़ाने की अनुमति नहीं है, चाहे वह किसी भी धर्म अथवा विश्वास का हो।**

(f) माता–पिता/कानूनी अभिभावक के साथ संयुक्त फोटो (साइज 3"X2") की बारह असत्यापित प्रतियाँ।

(g) 18 वर्ष से कम आयु के अभ्यर्थियों के लिये **माता–पिता/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित और एक राजपत्रित अधिकारी अथवा ग्राम सरपंच, प्रधान द्वारा सत्यापित एक सहमति पत्र (संलग्न) की आवश्यकता है। अभ्यर्थी का फोटो एक राजपत्रित अधिकारी अथवा ग्राम सरपंच/पधान (जैसा लागू हो) द्वारा सत्यापित (फोटो पर हस्ताक्षर व मुहर के साथ) होना चाहिये [<u>मेडिकल असिस्टेंट (10+2 शैक्षिक योग्यता के साथ)</u>]**।

(h) आपके नियोक्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति, यदि नौकरी करते हैं।

(j) बैंक खाता विवरण और कागजात जिसमें चेक बुक, पैन कार्ड और मतदाता पत्र (यदि उपलब्ध हो) सम्मिलित हैं।

(k) अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से मूल आधार कार्ड लेकर आना है। केवल जम्मू व कश्मीर, लद्दाख, असम व मेघालय के अभ्यर्थियों को कोई अन्य वैध फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना है, यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है।

(l) हल्का बिस्तर और व्यक्तिगत कपड़े। 45 दिनों की व्यक्तिगत आवश्यकता पूर्ति (भोजन व रहने के अतिरिक्त) के लिये पर्याप्त नकदी।

(m) आपको अपने स्थायी आवासीय पते का विवरण ठीक से अवश्य ज्ञात होना चाहिये और निम्नलिखित सूचना आपके पास होनी चाहिए –

(i)	मकान संख्या/नाम	(ii)	स्थान/गली	(iii)	नगर/ग्राम
(iv)	पुलिस थाना/चौकी संख्या	(v)	डाकघर व तार घर	(vi)	जिला
(vii)	प्रदेश	(viii)	पिन कोड		
(ix)	नजदीकी रेलवे स्टेशन (जहाँ मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियाँ ठहरती हैं और आरक्षण सुविधा उपलब्ध है)			(x)	गृह नगर से नजदीकी रेलवे स्टेशन तक की दूरी

(n) दिल्ली क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों की साफ्ट कॉपी को कमान अधिकारी 15 वायु सैनिक चयन केन्द्र की ई–मेल आईडी (co.15asc-mp@gov.in) पर अग्रेषित करना है जहाँ वे भर्ती रैली के लिए आये थे।

(i) आवेदक की फोटो (jpeg फॉरमैट में 20 kb से कम)

(ii) फोटो पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड (jpeg या PDF फॉरमैट में 200 kb से कम)

(iii) आवासीय पते का प्रमाण जैसे पासपोर्ट/बिजली बिल/टेलीफोन बिल (लैंडलाइन)/राशन कार्ड/बैंक पास बुक/यूटिलिटी बिल/रैंट एग्रीमेंट (jpeg अथवा PDF फॉरमैट में 200 kb से कम)

(o) अभ्यर्थियों को नामांकन के लिये रिपोर्ट करते समय प्रारम्भिक/अपील चिकित्सा परीक्षा के दौरान जारी उनका चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र (ग्रीन कार्ड) लाना **अनिवार्य** है।

(p) अभ्यर्थियों को **"आरोग्य सेतु/कोविन ऐप"** द्वारा प्राप्त किये गये कोविड टीकाकरण (यदि लिया गया है) प्रमाण पत्र की प्रति (हार्ड कॉपी) लानी और जमा करनी है। भर्ती/प्रशिक्षण के लिये रिपोर्ट करते समय सभी सावधानियाँ/बचाव अपनाने हैं जैसे कि मास्क लगाना, हाथ सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड–19 की दृष्टि से राज्य सरकार/केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देश/परामर्श का कड़ाई से अनुपालन करना।

(q) अभ्यर्थियों को "स्व–घोषणा मूल्यांकन प्रोफार्मा (कोविड)" (संलग्न) को भरना है और नामांकन के समय प्रलेखों की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी जमा करनी है।

(r) नामांकन/प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करते समय अभ्यर्थियों को केवल वैध पहचान पत्र और संबंधित दस्तावेजों के साथ ही वायु सेना चयन केंद्र/भारतीय वायु सेना प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

(s) नामांकन के दिन अभ्यर्थियों को वास्तविक यात्रा–टिकट की 03 प्रतियाँ (वास्तविक 02 प्रतियाँ) प्रस्तुत करनी हैं

5. अभ्यर्थियों को “P5 Information Sheet'' भरकर लाना है जो वेबसाइट www.airmenselection.cdac.in पर “Candidate'' → PSL/Enrolment List → टैब के अंतर्गत “Additional Information for candidates called for Enrolment” शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। **सभी क्षेत्रों को अनिवार्य रूप से भरना है।** अभ्यर्थियों को नामांकन के समय भरे हुए P5 सूचना पत्र का एक प्रिंट ऑउट लाना है। अभ्यर्थियों को **07 जून 2024** (पुनः) **07 जून 2024** तक 15 वायुसैनिक चयन केंद्र की ई–मेल आईडी (co.15asc-mp@gov.in) पर **“P5 Information Sheet''** भरकर भेजना आवश्यक है।

6. आपके आसन्न प्रशिक्षण के बारे में कुछ विवरण नीचे दिया गया है–

(a) संयुक्त प्रारंभिक चरण प्रशिक्षण (JBPT) की अवधि 20 सप्ताह की है।

(b) प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने तक तथा आवश्यक अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने तक और सफलतापूर्वक पासिंग–आउट होने तक आपको पूर्णतः वायुसैनिक नहीं माना जायेगा ।

(c) प्रशिक्षण अवधि के दौरान आपकी सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है यदि शैक्षिक अथवा शारीरिक योग्यता अथवा अनुशासन में आपका प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है अथवा आपको चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है अथवा यह पाया जाता है कि आपने भर्ती या प्रशिक्षण के दौरान गलत सूचना दी है।

(d) निर्धारित कुल प्रशिक्षण काल की अवधि को परिवीक्षा काल के रूप में लिया जायेगा।

(e) यदि प्रशिक्षण के दौरान आपको सेवामुक्त कर दिया जाता है तो इस मामले में आप भूतपूर्व–सैनिक के किसी भी लाभ के लिए अधिकारी नहीं होंगे। प्रशिक्षण के दौरान आपके निष्पादन पर कोई मूल्यांकन नहीं दिया जायेगा यदि आपका प्रशिक्षण किसी भी कारण से समाप्त कर दिया जाता है।

(f) नामांकन के दिन से आप वायु सेना नियमों के अधीन होंगे जिसमें वायु सेना अधिनियम, वायु सेना नियम, वायु सेना के लिये विनियम और विभिन्न स्थानीय/सामान्य आदेश जो भी लागू हों, सम्मिलित हैं।

(g) JBPT प्रशिक्षण कठोर है आपको सलाह दी जाती है कि आप प्रशिक्षण केन्द्र में पहुँचने से पूर्व ही अपने शारीरिक सहन शक्ति को बनायें।

टिप्पणी 1 – यदि आप **पहले से ही किसी अन्य सरकारी संगठन की नौकरी में हैं,** तो आपको अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना है। यदि आपको योग्य और नामांकन के लिए सही पाया जाता है, तो आपको 10 दिनों के भीतर अपने पहले नियोक्ता से सेवामुक्ति की औपचारिकता पूरी करने के लिए वापस भेजा जाएगा। वायु सैनिक चयन केंद्र छोड़ने के दिनांक से 10 दिनों के भीतर आपके द्वारा प्रस्तुत सेवामुक्ति प्रमाण पत्र के अगले दिनांक पर आपका नामांकन किया जायेगा। 10 दिनों के भीतर आपके द्वारा सेवामुक्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पाने में असफल होने पर आपके अनुक्रमांक का आपका अभ्यावेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा।

टिप्पणी 2 – **शरीर पर स्थायी गोदना** की अनुमति नहीं है, तथापि केवल अग्रबाहु (कोहनी से लेकर हथेली तक) के अन्तः पृष्ठ, हाथ के पीछे (पृष्ठस्थ)/हथेली के पिछले भाग/काले (पृष्ठीय) भाग पर गोदना अनुमति है। गोदना वाली जनजातियों जो केवल उनकी जनजातीय रीति और परम्पराओं के अनुसार हों, को गोदना की अनुमति है। **शरीर पर स्थायी गोदना वाले अभ्यर्थियों को गोदना के आकार व प्रकार के विवरण के साथ दा फोटो (नजदीक व दूर दृश्य वाले) जमा करने होंगे।** तथापि, अभ्यर्थी की स्वीकार्यता/अस्वीकार्यता पर निर्णय का अधिकार वायुसैनिक चयन केन्द्र/भर्ती अधिकारी के पास होगा।

टिप्पणी 3 – जो अभ्यर्थी वायुसैनिक के साथ–साथ अग्निवीरवायु के पीएसएल में प्रदर्शित हैं, उन्हें सेवाग्रहण के विकल्प में वायुसैनिक अथवा अग्निवीरवायु का चयन करना होगा। तथापि, अग्निवीरवायु के दोनों विषय समूहों (विज्ञान विषयों और विज्ञान विषयों से इतर) में प्रदर्शित अभ्यर्थियों को उस विषय समूह में सेवा ग्रहण करना होगा जिसके के लिए उन्हे बुलाया गया है। समान तिथि पर प्रकाशित अग्निवीरवायु के एक से अधिक पीएसएल में प्रदर्शित अभ्यर्थी को कोई भी विषय समूह आवंटित करने का अधिकार अध्यक्ष, केन्द्रीय वायुसैनिक चयन बोर्ड के पास सुरक्षित है। यदि अभ्यर्थी वायु सैनिक/अग्निवीरवायु के उस ट्रेड/स्ट्रीम में भारतीय वायु सेना में सेवा ग्रहण करने की अनिच्छा दर्शाता है अथवा अनुपस्थित रहता है जिसमे नामांकन हेतु उसे बुलाया गया है, तो वायु सैनिक/अग्निवीरवायु की सभी मौजूदा पीएसएल के लिए उसकी अभ्यर्थिता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

टिप्पणी 4 – वायुसैनिक इनटेक 01/2024 में मेडिकल असिस्टेंट (10+2/फार्मा) की भर्ती के लिए उम्मीदवारों की शंका से संबंधित पूछ–ताछ के लिए **24 मई 2024** से भर्ती पूरी होने तक सीएएसबी, नई दिल्ली में टेलीफोन नंबर पर **011-25694209** और **25696606** पर **0800** बजे से **2000** बजे तक एक हेल्प डेस्क काम करेगा।